न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 05/2017 (राजसमन्द आर्डर)

विद्या निकेतन प्राथमिक विद्यालय गवारड़ी, जरिये अध्यक्ष लक्ष्मीलाल मेनारिया पिता श्री पन्नालाल जी मेनारिया निवासी गवारड़ी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर
राजसमन्द दिनांक 03–12–2002 प्रकरण संख्या
क्रमांक/प.12/3(क)/184/राजस्व/02/6133–36

———/———

उपस्थित :– 1– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता

आदेश **दिनांक 20–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक/प.12/3(क)/184/राजस्व/02/6133–36 दिनांक 3–12–2002 से ग्राम गवारड़ी की आराजी नंबर 1612 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि को धारा–92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया। इससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 184–2017 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा उसे इस निर्णय की जाकारी नहीं थी। अतएव मयाद कण्डोन की जाय। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायति में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–96 जाब्ता दीवानी का भी आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया किया आराजी नंबर 1612 मीन रकबा

18 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 8 बिस्वा भूमि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश 358–61 दिनांक 18–3–1995 से विद्यालय को आवंटित की गई तथा विद्यालय संचालित होकर संस्था का कब्जा है, परन्तु उक्त आवंटन का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं हो पाया। उक्त आवंटन के बाद 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत गवारड़ी को आवंटित की गई शेष बची भूमि 15 बीघा 7 बिस्वा पूर्ण रूप से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई तथा उसे आवंटित 8 बिस्वा भूमि को भी विवादित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण आदेश दिनांक 3–12–2002 से आराजी नंबर 1612 मीन रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा पूर्ण को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दिये जाने से उसे आवंटित 8 बिस्वा भूमि से उसकी हितबद्धता होकर वह व्यथित पक्षकार है। अतएव उसे अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाय।

हमारे द्वारा रेकार्ड का अवलोकन कर राजस्व कार्मिकों की मौका रिपोर्ट व आवंटन आदेश प्रार्थी संस्था दिनांक 18–3–1995 के दृष्टिगत अपीलान्ट को प्रथम दृष्टया हितबद्ध व व्यथित पक्षकार पाते है। अतएव उसे अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि आराजी नंबर 1612 मीन का रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा था, जिसमें से दिनांक 18–3–1995 को उन्हें 8 बिस्वा भूमि विद्यालय हेतु आवंटित की है, जहां विद्यालय का निर्माण होकर विद्यलय संचालित है। अपीलान्ट को आवंटन के बाद 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आवंटित की गई एवं शेष भूमि 14 बीघा 19 बिस्वा ही रही थी, परन्तु प्रार्थी अपीलान्ट को आवंटित 8 बिस्वा भूमि को नजर अन्दाज करते हुए 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि का विवादित अपीलाधीन आदेश से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण कर दिया गया है जबकि 8 बिस्वा

प्रार्थी अपीलान्ट को आवंटित भूमि पर विद्यालय काबिज होकर संचालित है तथा उसे विधिक रूप से भूमि आवंटित है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर अपील में पेश शुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 18–3–1995 को शासन के आदेश से अपीलार्थी को 8 बिस्वा भूमि विद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटित है तथा तद्नुसार उक्त आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण अपीलाधीन आदेश से भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई है।

रेकार्ड देखने से तथा तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट पत्रांक 432 दिनांक 8–12–2015 तथा पत्रांक 35 दिंनाक 2–5–2016 से विद्यालय को भूमि आवंटित होना, विद्यालय संचालित होना तथा लीज–रेन्ट प्रतिवर्ष जमा होना सुस्पष्ट है।

इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को विद्यालय अपीलान्ट को आंवटित 8 बिस्वा भूमि जहां संचालित है उस हद तक स्थगित करते हुए, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3–12–2002 अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में रेकर्ड का परीक्षण कर मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर अपने अपीलाधीन आदेश को पुर्नविलोकन कर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर